

प्रेषक,

शशि भूषण पाण्डेय,
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
सीतापुर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक :- 32 / 2021 दिनांक:- 02.06.2021

विषय :- भविष्य निधि खाता सं० एल०जे०यू० 21085 से प्लॉट (भूमि)
क़य किये जाने हेतु 30,00,000/- (तीस लाख) रूपये स्थायी
निष्कासन के सम्बन्ध में :-

महोदय,


अति विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 01.10.20 को एक प्रार्थनापत्र माननीय महोदय को सम्बोधित करते हुए इस आशय का प्रेषित किया था कि, प्रार्थी ने दिनांक 18.03.96 को न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया तथा प्रार्थी को अक्टूबर 2022 में अवकाश ग्रहण करना है एवं प्रार्थी ने अपनी पूरी सेवाकाल में जो भी बचत की है, वह सब प्रार्थी के भविष्य निधि खाता में जमा है एवं प्रार्थी को अपनी सेवा के अन्तिम वर्षों में अपने परिवार के तथा स्वयं के रहने की व्यवस्था के लिए आवास की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने फ्लैट/आवास क़य किये जाने हेतु अपने भविष्य निधि खाता में जमा धनराशि का दो-तिहाई हिस्सा ऋण दिये जाने के लिए एक प्रार्थनापत्र प्रेषित किया था तथा चूंकि प्रार्थी के भविष्य निधि खाता में 2019-20 के अन्त में 46,30,313/- (छियालिस लाख तीस हजार तीन सौ तेरह) रूपये की धनराशि जमा थी तथा माननीय महोदय की कृपा प्राप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में प्रार्थी को माननीय महोदय द्वारा, जमा धनराशि का दो-तिहाई हिस्से की धनराशि प्रदान की जा सकती है, इस आधार पर प्रार्थी ने उस समय तक जमा धनराशि 46,30,313/- (छियालिस लाख तीस हजार तीन सौ तेरह) रूपये के दो-तिहाई हिस्से की धनराशि 30,00,000/- (तीस लाख) रूपये की धनराशि के स्थायी निष्कासन हेतु प्रार्थनापत्र प्रेषित किया था, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के e-Services Portal of Judicial Officers के माध्यम से 22 जनवरी, 2021 को यह जानकारी प्राप्त हुई कि, प्रार्थी द्वारा भेजे गये प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में यह आदेशित किया गया है कि, प्रार्थी ने अपने

.....2

प्रार्थनापत्र दिनांकित 01.10.20 में उस सम्पत्ति का विवरण नहीं लिखा था, जो सम्पत्ति प्रार्थी क्य करना चाहता है तथा भविष्य निधि खाता से स्थायी निष्कासन के लिए उस आवास/फ्लैट/प्लॉट की पहचान तथा उसकी विक्रय धनराशि का विवरण आदि भी लिखना आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में प्रार्थी के लिए यह आदेश किया गया है कि, प्रार्थी पहले वह प्रापर्टी तय करे, जो उसे खरीदनी है, तथा उसके बाद पुनः सम्बन्धित प्रापर्टी के सम्पूर्ण विवरण के साथ पुनः प्रार्थनापत्र प्रेषित करे, तभी प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर भविष्य निधि खाता से स्थायी निष्कासन की कार्यवाही की जा सकेगी।”

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी का अब यह विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने अब लखनऊ में एल्डिको सिटी, ग्राम मुबारकपुर, तहसील बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ में प्लॉट सं०-1106 एरिया 167.445 वर्ग मीटर को क्य करने के सम्बन्ध में उसके स्वामी से एक “Agreement to Sale” दिनांक 03.04.21 को कर लिया है। यह “Agreement to Sale”, प्रथम पक्ष - (भूमि स्वामी) श्रीमती रेशमा मलही एवं हरवन्त सिंह मलही (विक्रेता) तथा द्वितीय पक्ष - प्रार्थी तथा प्रार्थी की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज पाण्डेय (क्रेता) के नाम से हुआ है, जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है कि, उसके पूरब में- यूनिट नं० 1111 है, पश्चिम में- 9 मीटर चौड़ी सड़क है, उत्तर में- यूनिट नं० 1105 तथा दक्षिण में- यूनिट नं० 1107 है। प्रार्थी (क्रेता) से विक्रेता ने प्लॉट सं०-1106 का 60,00,000/- (साठ लाख) रुपये में विक्रय करने का “Agreement to Sale” किया है तथा इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने दिनांक 03.04.21 को “Agreement to Sale” होने की तारीख तक विक्रेता (प्रथम पक्ष) को दिनांक 28.03.21 को 11000/- (ग्याहर हजार) रुपये RTGS के माध्यम से तथा 90,000/- (नब्बे हजार) रुपये दिनांक 03.04.21 को पुनः RTGS के माध्यम से ही अग्रिम भुगतान के रूप में दे दिया था। इस प्रकार “Agreement to Sale” होने तक प्रार्थी ने 1,01,000/- (एक लाख एक हजार) रुपये विक्रेता को दे दिये हैं एवं शेष 58,99,000/- (अट्ठावन लाख निन्नानबे हजार) रुपये रजिस्ट्री होने से पहले प्रार्थी द्वारा विक्रेता को देना है।

दिनांक 01.10.20 को प्रार्थी ने जो प्रापर्टी क्य करने हेतु माननीय महोदय को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया था एवं जिसके सम्बन्ध में पारित आदेशानुसार प्रार्थी को क्य की जाने वाली प्रापर्टी का विवरण एवं उसकी कीमत आदि स्पष्ट करना था, उसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने अब “Agreement to Sale” कर लिया है तथा प्रार्थी अपने इस प्रार्थनापत्र के साथ अब “Agreement to Sale” की स्व-प्रमाणित प्रति माननीय महोदय के


.....3

अवलोनार्थ प्रेषित कर रहा है।

उपरोक्त के संदर्भ में प्रार्थी का यह विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ने जो प्रार्थनापत्र दिनांक 01.10.20 को अपने भविष्य निधि खाता से 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये स्थायी निष्कासन के लिए प्रेषित किया था, उसके संदर्भ में प्रार्थी को प्रार्थी के भविष्य निधि खाता से 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये स्थायी निष्कासन के माध्यम से दिलाने जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में प्रार्थी यह वचन देता है कि, भविष्य निधि खाता से अन्तिम निष्कासन के रूप में प्राप्त होने वाली 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये की धनराशि को प्रार्थी प्लॉट नं० 1106, एल्डिको सिटी, ग्राम मुबारकपुर, तहसील बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ, एरिया 167.445 वर्ग मीटर, को ही क्रय करने के उद्देश्य से खर्च करेगा तथा किसी अन्य मद में खर्च नहीं करेगा।

अन्त में प्रार्थी पुनः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन करता है कि, प्रार्थी के भविष्य निधि खाता से प्रार्थी को, उपरोक्त प्लॉट क्रय किये जाने हेतु 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये अन्तिम निष्कासन के रूप में शीघ्रातिशीघ्र दिलाये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

महती कृपा होगी।

सादर,

भवदीय,
एस०बी०पाण्डेय
02/06/21

(एस०बी०पाण्डेय)

पीठासीन अधिकारी,


मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
सीतापुर।

संलग्नक :-


1. दिनांक 03.04.20 को प्रार्थी (क्रेता) एवं विक्रेता के मध्य प्लॉट नं० 1106, एल्डिको सिटी, ग्राम मुबारकपुर, तहसील बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ, प्लॉट एरिया 167.445 वर्ग मीटर के सम्बन्ध में हुए "Agreement to Sale" की स्वप्रमाणित फोटोप्रति।
2. पूर्व में दिनांक 01.10.20 को प्रार्थी द्वारा अपने भविष्य निधि खाता से फ्लैट/आवास क्रय किये जाने हेतु 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये के स्थायी निष्कासन हेतु प्रेषित प्रार्थनापत्र की फोटोप्रति। (प्रार्थी उस समय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गाजियाबाद के रूप में नियुक्त था)

.....4

- ✓ 3. पूर्व में दिनांक 01.10.20 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के साथ भविष्य निधि खाता से अन्तिम निष्कासन के लिए आवेदनपत्र के प्रारूप (प्रोफार्मा) पर प्रार्थनापत्र दिनांकित 01.10.20 की फोटो प्रति।
- ✓ 4. पूर्व में दिनांक 01.10.20 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न सक्षम अधिकारीगण द्वारा सत्यापित प्रार्थी के भविष्य निधि पास-बुक की सन् 2016-17 से 2019-20 तक के विवरण की फोटो प्रति।
- ✓ 5. पूर्व में दिनांक 01.10.20 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न, पूर्व में कोई भी स्थायी धनराशि भविष्य निधि खाता से आहरण न करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति।
- ✓ 6. पूर्व में दिनांक 01.10.20 को प्रेषित आहरण एवं वितरण अधिकारी, दीवानी न्यायालय, गाजियाबाद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति।
- ✓ 7. पूर्व में दिनांक 01.10.20 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के साथ प्रेषित, प्रार्थी का स्वयं के प्रमाणपत्र की फोटो प्रति।
- ✓ 8. पूर्व में दिनांक 01.10.20 को प्रेषित प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न, प्रार्थी के वचन-पत्र की फोटो प्रति।


एस०बी०पाण्डेय
02/06/20

(एस०बी०पाण्डेय)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
सीतापुर।


16/05/20

मार्ग (154) दिनांक 02.10.20 को जारी
किन्हीं 17, 2011 के आदेश द्वारा के तहत
के तहत जारी किया गया प्रमाणपत्र माफ कीजिए
मार्ग (154) दिनांक 02.10.20 को जारी
प्रमाणपत्र के तहत माफ कीजिए
/ दिनांकित प्रमाणपत्र कि "गैर 01 10/01/2019"
दिनांक 02.10.20 को जारी के तहत
किन्हीं एक प्रमाणपत्र के तहत जारी किया
के तहत (प्रमाणपत्र) - 000.00.08 के तहत
/ दिनांकित कि हमारा नाम जारी हुई प्रमाणपत्र जारी
01/01/2019 / दिनांकित प्रमाणपत्र जारी प्रमाणपत्र जारी
(154) दिनांकित के तहत के तहत जारी किया

